




भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07032022-233977
CG-DL-E-07032022-233977

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY


डॉ. सुभाष सरकार
Dr. Subhas Sarkar
शिक्षा राज्य मंत्री
Minister of State for Education
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

सं. 975]
No. 975]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 7, 2022/फाल्गुन 16, 1943
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 7, 2022/PHALGUNA 16, 1943

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2022

का.आ. 1005(अ).—भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) अधिनियम, 2017 (2017 का 23), की धारा 34 (1) (2) और (3) के साथ पठित धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शासी बोर्ड के अनुमोदन से सीनेट भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रायचुर के निम्नलिखित अध्यादेश बनाती है।

बी. टेक कार्यक्रम अध्यादेश

(शैक्षिक वर्ष 2019-20 से प्रवेश लेने वाले बैच के लिए)

- | | |
|---------------------|---|
| 1. शैक्षिक कैलेंडर | 2 |
| 2. प्रवेश | 2 |
| 3. उपस्थिति | 3 |
| 4. आचार और अनुशासन | 4 |
| 5. पाठ्यक्रम संरचना | 4 |
| 6. पंजीकरण | 5 |

7. कार्यक्रम की अवधि	5
8. संस्थान से अस्थायी निकासी	6
9. अकादमिक परीवीक्षा एवं निलंबन	6
10. ग्रेडिंग नीति	5
11. पाठ्यक्रमों को दोहराना	9
12. निष्पादन का मूल्यांकन	10
13. परीक्षाएं	11
14. मेक-अप-परीक्षाएं	11
15. ग्रेडस रोकना	12
16. पाठ्यक्रम छोड़ने के मापदंड	12
17. बी.टेक डिग्री प्रदान किए जाने की पात्रता	12

बी. टेक कार्यक्रम अध्यादेश

(शैक्षिक वर्ष 2019-20 से प्रवेश लेने वाले बैच के लिए)

1. संस्थान द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी प्रौद्योगिकी स्नातक (बी.टेक) कार्यक्रम इन बी.टेक अध्यादेशों द्वारा अभिशासित होंगे।
2. इन अध्यादेशों के अंतर्गत भविष्य में किसी नए विषय (विषयों)/कार्यक्रमों को शामिल किया जा सकता है।
3. कोई भी छात्र इन अध्यादेशों द्वारा यथा-निर्धारित शैक्षिक अर्हताओं को पूरा करने के पश्चात बी.टेक डिग्री प्रदान किए जाने का पात्र होगा।
4. संस्थान में निम्नलिखित बी.टेक कार्यक्रम होंगे:
 - क. कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी (सीएसई) : (4 वर्ष/8 सेमेस्टर)
 - ख. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
 - ग. गणित और कंप्यूटिंग

1. शैक्षणिक कैलेंडर

- 1.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र को लगभग चार महीने की अवधि के दो सेमेस्ट्रों में बांटा गया है, अर्थात् अगस्त-नवंबर सेमेस्टर और जनवरी-अप्रैल सेमेस्टर।
- 1.2 इसके अतिरिक्त किन्हीं दो सेमेस्ट्रों के बीच अवकाश हो सकता है।
- 1.3 सीनेट ने पंजीकरण की तारीख, मध्य-सेमेस्टर और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं, सेमेस्ट्रों के बीच अवकाश तथा अन्य गतिविधियों की तारीख को शामिल करते हुए सत्र के लिए शैक्षिक गतिविधियों की अनुसूची अनुमोदित की, जिसे सत्र के लिए शैक्षिक कैलेंडर में निर्धारित किया जाएगा।

2. प्रवेश

- 2.1 भा.सू.प्रौ.स. रायचुर में अवर स्नातकों की प्रत्येक शाखा जिसके लिए प्रवेश लिया जाना है, में सीटों की संख्या का निर्णय भा.सू.प्रौ.स. रायचुर की सीनेट द्वारा लिया जाएगा। सीटों समय-समय पर भारत सरकार के निर्णयों के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, शारीरिक रूप से निःशक्त अभ्यर्थियों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होती हैं।